न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी – विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नम्बर – 2021/132

दर्ज दिनांक – 01.01.2021

1. कन्हैयालाल पुत्र कल्याण जाति मीना उम्र 68 वर्ष निवासी महाराजपुरा हाल तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

– (वादीगण)

बनाम्

1. चिरंजीलाल पिता रामसहाय
2. सांवल्या
3. मुनीराज पुत्र चिरंजीलाल
4. सन्तोष पत्नि चिरंजीलाल
5. शिमला पत्नि सांवलराम

जाति मीना नि0–ग्राम महाराजपुरा हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा राजस्थान।

– (प्रतिवादीगण)

वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1 श्री सुरेश रच्छोया (वकील वादीगण)
2 श्री बी.एम. गौड (प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.11.28 14:35:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 02-08-2024

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महाराजपुरा हाल तहसील लालसोट जिला खसरा नम्बर 294 रकबा 0.0400 है0. खसरा नम्बर 297 रकबा 1.0000 है0. खसरा नम्बर रकबा 0.3100 है0. खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7900 है0. खसरा नम्बर 310 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.4900 है0. जिसमे से खसरा नम्बर 308 के पुरान नम्बर 406/270

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज0)

है को वादग्रस्त करार देते हुए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत पेश किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचन किये है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे एवम खातेदारी की भूमि है। जिसको वादीगण काश्त करते रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण लठैत तथा लड़ाकू प्रवृति के लोग है जो अपने बाहुलब से वादी की खातेदारी तथा कब्जेकाश्त की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त करने में रूकावट पैदा करते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण का कहना है कि वादी की खातेदारी भूमि के मध्य में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407/270 है जिसके पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में वादी की खातेदारी वादग्रस्त भूमि स्थित है जिसमें दक्षिण दिशा वाली वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करने पर आमदा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। वादकारण के संबंध में वादी ने अभिवचन किये है कि दिनांक 15.07.2020 को वादी अपने खेत पर कार्य कर रहा था कि अचानक प्रतिवादीगण एकराय होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407/270 के दक्षिण दिशा में स्थित वादी की खातेदारी भूमि पर आ गये तथा जबरन नीवं खोदकर निर्माण करने पर आमदा हो गये तब वादी ने प्रतिवादीगण को नींव खोदने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारी खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण करेगे तथा तुम्हे हमारी जमीन के पूर्वी भाग में स्थित तुम्हारी खातेदारी भूमि पर जाने नहीं देगे तथा तुम्हे काश्त भी नहीं करने देगे प्रतिवादीगण की इसी बेजा हरकत से वाद हेतुक पैदा होकर वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। इस प्रकार अभिवचन कर वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7900 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील हाल निर्झरना पर जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्मागण न करने तथा प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407/270 के पूर्वी भाग में स्थित वादी की खातेदारी भूमि के आवागमन, कब्जेकाश्त में कोई रूकावट न करने ना करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया है।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री बृजमोहन गौड हाजिर आये तथा वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल किया गया। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] नियत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वादपत्र को चुनौती [illegible] नियम 11 सीपीसी पेश किया कि वादी ने आराजी [illegible] महाराजपुरा के पूर्वी भाग में होकर रास्ता बताकर स्वयं के आवागमन में बाधा उत्[illegible] नहीं करने की निषेधाज्ञा चाही है। खसरा नम्बर भूमि 407/270 वादी से ही प्रतिवादीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1995 को क्रय की है उक्त विक्रय पत्र में रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं है वादी का वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.11.28 14:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

मिथ्या कथनों पर आधारित है। रास्ता उद्घोषित करने तथा रास्ते के संबंध में वाद सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होकर तहसीलदार एवम ग्राम पंचायत को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत प्राप्त है। तथा धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के संबंध उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार कें प्रावधान है। 251 की उपधारा 2 के तहत क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादी ने इस वादपत्र के जरिये रास्ते के संबंध में अनुतोष चाहा है जो राजस्व न्यायालय द्वारा देय नहीं है। इस वादपत्र में वादी को वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है वादकारण के अभाव में वादी का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। इसलिए वादपत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल किया जाकर प्रतिपक्ष/वादी से जवाब तलब किया गया। प्रतिपक्ष वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया है कि वादी/अप्रार्थी ने वादपत्र में रास्ते का अनुतोष नहीं चाहा है वादपत्र के चरण संख्या 4 में वादी ने स्पष्ट रूप से अभिवचन किये है कि वादी की खातेदारी भूमि के मध्य में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407/270 है जिसके पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में वादी की खातेदारी वादग्रस्त भूमि स्थित है जिसमें दक्षिण दिशा वाली वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करने पर आमदा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है इस हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने का अनुतोष ही चाहा गया है रास्ते के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादी ने स्वंय की खातेदारी भूमि पर ही आवागमन बाबत कथन किये है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र झूठा व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है जो खारिज योग्य है। वादी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र वादी के विरूद्ध पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जवाब शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। चूँकि वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है, इस कारण उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की सहमति से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के साथ–साथ वादपत्र पर भी सीधे ही उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण की और से जमाबंदी सम्वत 2074–2077 एवम नक्शा ट्रेस को दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

दौराने बहस विद्वान वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के बतौर राजस्व रिकॉर्ड खातेदार है, जो दस्तावेजी साक्ष्यो से बखूबी प्रमाणित है। प्रतिवादीगण का आराजी वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। फिर भी बलपूर्वक वादीगण की खातेदारी की भूमि निर्माण करने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार ही नहीं है। विधि में रिकॉर्डेड खातेदार कब्जाधारी के हितों का संरक्षण किया गया है। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में दखलंदाजी करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमावे। विद्वान वकील प्रतिवादी ने वकील वादी की बहस विरोध करते हुए तर्क दिये की वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी में से होकर आने जाने हेतु रास्ता चाहता है जिसका अनुतोष वादी इस वादपत्र में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वादपत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.11.28 14:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

हमने विद्वान वकील वादी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र के सन्दर्भ में विधि का अध्ययन किया गया। हम विद्वान अधिवक्ता वादी के अभिलिखित खातेदार कब्जेदार के राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 में संरक्षण के प्रावधान से सहमत है। धारा 188 के अन्तर्गत व्यादेश के लिए वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना सर्वोच्च महत्वपूर्ण है। यह सु–विदित है कि जो व्यक्ति कब्जे में नहीं है,वह स्थायी व्यादेश के लिए फाइल नहीं कर सकता। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के परिशीलन से वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार बखूबी साबित है। खसरा नम्बर 407/270 जो की प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी बताई गई है, नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी के मध्य में स्थित है। अर्थात उक्त भूमि के अतिरिक्त भी वादी की खातेदारी की भूमि तीनो ओर स्थित है। अभिलेख के आधार पर कब्जे की उपधारणा स्पष्ट रूप से वादीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण की दखलांदाजी कानूनन अनुचित है। परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर वादीगण का वादपत्र विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् एवम वादग्रस्त आराजी के वादीगण अभिलिखित खातेदार एवम कब्जेदार सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम महाराजपुरा हाल तहसील निर्झरना स्थित वादी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7900 हैक्ट0 भूमि पर जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माणण न करे तथा वादी की खातेदारी भूमि में आवागमन, कब्जेकाश्त में कोई रूकावट पैदा न करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण स्थायी रूप से पाबन्द रहे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02-08-2024 सरे ईजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी,लालसोट

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.11.28 14:35:38 IST
Reason: SelfAttested